योजना के जरिए फालतू श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण इस नीति के मुख्य अंग हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश क्रमिक रूप से रुग्ण ऐसी मिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों को भी दी जाएगी जिनके अर्थक्षम होने की कोई संभावना नहीं है तथा जिन्हें बन्द करना पड़ सकता है अथवा अर्थ-क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निकटस्थ एककों के साथ समामेलित किया जा सकता है ।

(ग) सर्वांगीण सुधार की नीति के अन्तर्गत एन० टी० सी० के सुव्यवस्थीकृत कामगारों के पुनः नियोजन और पुनः प्रशिक्षण के लिए पुनर्वासन निधि योजना में 50 करोड़ रु० की धनराशि प्रदान की गई है। विद्युतकरघा/सीलिंग एककों की स्थापना के लिए ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए योजनाएं पहले से ही तैयार कर ली गई हैं ।

Rationalisation and Modernisation of the Textile Mills Managed by NTC.

2603. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several textile mills are currently managed by the National Textile Corporation but not owned by it;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether fate of these mills is likely to be considered under Government's strategy for rationalisation and modernisation of the National Textile Corporation; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) and (b) Yes, Sir. National Textile Corporation is running 13 taken over mills at Bombay and 2 at Kanpur which have not been nationalised by the Central Government.

(c) and (d) These taken over mills have not been included for modernisation in the Turn Around Strategy for NTC. Since their ownership does not vest with Central Government/NTC.

जूट उद्योग के विकास के लिए विशेष कोष

2604. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान जूट उद्योग के विकास के लिए एक विशेष कोष की स्थापना करने हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राशि का उपयोग करके जूट उद्योग के विकास की योजना को कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस योजना को लागू किए जाने के फलस्वरूप जूट उद्योग को आत्म-निर्भर बनाया जा सका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) पटसन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रु० की धनराशि से विशेष पटसन विकास निधि (एस०

जे० डी० एफ०) का सृजन वर्ष 1986-87 में किया गया था । विशेष पटसन विकास निधि के कार्यान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	आवंटन (रु० करोड़)	रिलीज (रु० करोड़)
1	2	3
1. पटसन कृषि विकास कार्यक्रम	25.00	18.00
2. गोदामों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिये भारतीय पटसन निगम को सहायता ।	10.00	2.00
3. उत्पाद विविधीकरण और अनुसंधान एवं विकास सहायता ।	10.00	8.35
4. पटसन उद्योग में कामगारों के लाभ के लिये योजनाएं :		
(क) श्रमिकों का पुनर्वासन	10.00	--
(ख) आधुनिकीकरण से जुड़ा श्रमिक पुनर्वासन	22.50	--
(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाने वाली मिलों के कामगारों की भविष्य निधि/ई० एस० आई० के बकाया का आंशिक भुगतान ।	16.00	4.67
(घ) फ़ालतू कामगारों के लिये प्रशिक्षण और बैंक वित्त ।	5.00	--
	98.50	33.02
अर्थात्	100.00	

सरकार ने अभी हाल ही में विशेष पटसन विकास निधि के लोचशील पुनः नियोजन की अनुमति प्रदान की है ताकि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को और अधिक व्यावहारिक और मौलिक आवश्यकताओं के उन्मुख बनाया जा सके ।

(घ) और (ङ) सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी जिसने सिफारिश की है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विविधीकृत अन्त प्रयोगों में फाईबर के रूप में पटसन की पूरी संभाव्यता को मान्यता दी जाए। इस लिए पटसन क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह पटसन उपजाने वाले किसानों, मिल के कामगारों तथा इस फाइबर से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए पुनर्निर्माण कार्य शुरू करें । इस प्रकार के विविधीकरण से पटसन उद्योग की मूल्य वसूली में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप पटसन फाइबर के लिए मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को उपज के लिए और अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी। समिति ने सिफारिश की है कि विविधीकरण बढ़ाने के लिए मार्जिन धनराशि की सहायता दी जाए तथा सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में सुचारू प्रबंध किए जायें ।